## झारखण्ड विधान-सभा

# इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी विधेयक, 2006

**[सभा द्वारा यथापारित]**

## विषय-सूची

खण्ड-1


1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य ।
4. विश्वविद्यालय की स्थापना ।
5. विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता का हकदार नहीं होगा ।
6. अंगीभूत महाविद्यालय ।
7. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
8. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ ।
9. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों, भाषा-भाषियों, वर्णों एवं लिंगों के साथ समभाव ।
10. विश्वविद्यालय द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त करना ।
11. विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ।
12. झारखण्ड के राज्यपाल का विश्वविद्यालय का विजिटर होना ।
13. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।
14. विश्वविद्यालय के कुलपति ।
15. संकायाध्यक्षों की नियुक्ति ।
16. कुलसचिव की नियुक्ति ।
17. वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति ।
18. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य ।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।
20. शासीनिकाय के सदस्य ।
21. प्रबन्धन समिति का गठन ।
22. अधिविद्य परिषद् का गठन ।
23. वित्त समिति का गठन ।
24. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्ति एवं क्रिया कलाप ।
25. रिक्ति के कारण किसी कार्यवाही या कृत्य का अमान्य न होना ।
26. विश्वविद्यालय के किसी मामले और उसके कर्मचारी के लिए परिनियमों का निर्धारण ।

27. परिनियम निर्माण ।
28. परिनियम में संशोधन का अधिकार ।
29. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नियम का गठन ।
30. नियम बनाना ।
31. नियम में संशोधन का अधिकार ।
32. विश्वविद्यालय कर्मियों की सेवा शर्त्तें ।
33. अपील का अधिकार ।
34. भविष्य निधि और पेंशन ।
35. विश्वविद्यालय प्राधिकारी और निकाय के गठन से संबंधित विवाद ।
36. समितियों का गठन ।
37. आकस्मिक रिक्ति भरे जाने के संबंध में ।
38. सद्भाव से किये गये निर्णयों का रक्षण ।
39. अधिनियम और परिनियम द्वारा प्रावधान नहीं होने की स्थिति में कतिपय प्रावधान ।
40. स्थायी निधि ।
41. विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि ।
42. विश्वविद्यालय की विकास निधि ।
43. निधि का अनुरक्षण ।
44. वार्षिक प्रतिवेदन ।
45. लेखा एवं अंकेक्षण ।
46. विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाणन के तरीके ।
47. विश्वविद्यालय का विघटन ।
48. विघटन क्रम में विश्वविद्यालय का परिव्यय ।
49. परिनियमों एवं नियमों को रखना ।
50. कठिनाइयों का निवारण ।
51. संशोधन, निरसन एवं व्यावृत्ति ।

# इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी विधेयक, 2006

**[सभा द्वारा यथापारित]**

लेखा, वित्तीय विश्लेषण एवं प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, एप्लाईड साईन्सेस एण्ड टेकनीक, विधि शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त एवं उद्योग-प्रासंगिक शिक्षा की उपलब्धता पर जोर देने के लिए इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश द्वारा प्रयोजित विश्वविद्यालय की स्थापना एवं राज्य में उसे समाविष्ट करने और उससे संबद्ध अथवा आनुषंगिक मामले के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक ।

## अध्याय -1

## प्रारंभिक ।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** :- (1) यह अधिनियम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी एक्ट, 2006 कहलाएगा ।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू माना जायेगा ।

2. **परिभाषाएँ** :- जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम में -

(I) **'अधिविद्य परिषद्'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की अधिविद्य परिषद् ;

(II) **'(AICTE)'** ए०आई०सी०टी०ई० से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा-3 के अधीन स्थापित है ।

(III) **'वार्षिक प्रतिवेदन'** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-44 में वर्णित विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन ;

(IV) **'व्यवस्थापक मंडल'** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-20 में वर्णित विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल ;

(V) **'प्रबंध समिति'** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-21 में वर्णित विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति ;

(VI) **'कुलाधिपति'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जैसा कि अधिनयम की धारा 13 में उल्लिखित है ;

(VII) **'अंगीभूत महाविद्यालय'** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय अथवा संस्था ;

(VIII) **'विकास निधि'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–42 में उल्लिखित विकास निधि ;

(IX) **'स्थायी निधि'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–40 में वर्णित विश्वविद्यालय की स्थायी निधि ;

(X) **''कर्मियों'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मी, जिसमें विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य शिक्षकेत्तर कर्मी भी शामिल हैं ;

(XI) **'संकाय'** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के संकाय ;

(XII) **'वित्त पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी ;

(XIII) **'सामान्य निधि'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा– 41 में वर्णित विश्वविद्यालय की सामान्य निधि ;

(XIV) **'विहित'** से अभिप्रेत है, परिनियमों द्वारा विहित ;

(XV) किसी अंगीभूत महाविद्यालय में प्राचार्य से अभिप्रेत है अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधान और जहाँ प्राचार्य न हो, वहाँ उप–प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति ;

(XVI) **'क्षेत्रीय कार्यालय'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रों में स्थापित एवं अनुरक्षित केन्द्र जो प्रबंधन समिति द्वारा यथा प्रदत्त कृत्यों का सम्पादन करता है ;

(XVI) **'कुल सचिव'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 16 में वर्णित विश्वविद्यालय का कुलसचिव ;

(XVIII) **'नियमावली'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की नियमावली ;

(XIX) **'प्रायोजक'** से अभिप्रेत है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया, जिसका निबंधन आंध्रप्रदेश (तेलंगाना प्रक्षेत्र) पब्लिक सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1350 फासली (1350 f के अधिनियम 1) अधीन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 20 अक्टूबर 1984 को हुआ और जिसकी निबंधन संख्या 1602 है।

(XX) **'राज्य'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ;

(XXI) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार ;

(XXII) **'परिनियम'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के परिनियम ;

(XXIII) **'प्राध्यापक'** से अभिप्रेत है, आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने या शोध

संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप नियुक्त किया जाए, इसके अंतर्गत किसी महाविद्यालय के प्राचार्य भी आते हैं ;

(XXIV) **'सी एफ ए चार्टर एण्ड डेसिग्नेशन'** से अभिप्रेत है चार्टर्ड फाइनेशियल एनेलिस्ट चार्टर एण्ड डेसिग्नेशन, जो विश्वविद्यालय या उसके द्वारा विधिवत् अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित चार्टर्ड फाइनेशियल एनेलिस्ट कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा ;

(XXV) **'सी पी ए प्रमण पत्र एवं पदनाम'** से अभिप्रेत है प्रमाणिक लोक लेखाकार प्रमाण–पत्र (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेंट सर्टिफिकेट एंड डेसिग्नेशन) एवं पदनाम । यह विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित प्रमाणिक लोक लेखाकार कार्यक्रम के सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा ;

(XXVI) **'द काउंसिल ऑफ चार्टर्ड फाइनेशियल एनेलिस्ट'** से अभिप्रेत है आंध्र प्रदेश (तेलंगाना प्रक्षेत्र) पब्लिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1350 फासली (1350 f के अधिनियम 1) के अधीन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (पंजीकरण संख्या 1809, दिनांक 17 अगस्त, 1989) में पंजीकृत सोसाइटी;

(XXVII) **'द सोसाइटी ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स'** (प्रमाणिक लोक लेखाकार सोसाइटी) से अभिप्रेत है – आंध्र प्रदेश लोक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1350 फासली (1350 f के अधिनियम 1) के अधीन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में पंजीकृत (पंजीकरण संख्या 5575, दिनांक 17 अगस्त, 2001) सोसाइटी ;

(XXVIII) **'यू0जी0सी0'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

(XXIX) **'विश्वविद्यालय'** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित इंस्टी्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी ;

(XXX) **'कुलपति'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 14 में वर्णित विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(XXXI) **'विजिटर'** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित विश्वविद्यालय का विजिटर ;

(XXXII) **'एन0सी0टी0ई0'** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ।

## अध्याय –2

3. **विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य :–**

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव –

(1) प्रायोजक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है ।

(2) प्रायोजक द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक प्रस्तावयुक्त आवेदन राज्य सरकार को दिया जाएगा।

**प्रस्ताव में निम्नलिखित विशिष्टियॉं अपेक्षित होगी :–**

(क) विश्वविद्यालय के उद्देश्य के साथ प्रायोजक का विस्तृत विवरण ।

(ख) विश्वविद्यालय का विस्तार एवं अवस्था तथा जमीन की उपलब्धता ।

(ग) अगले 5 वर्षो में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन एवं अनुसंधान के कार्यक्रमों की प्रकृति एवं स्वरूप ।

(घ) संकायों का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित शोध–कार्य।

(च) विश्वविद्यालय परिसर विकास, यथा भूमि, उपस्कर एवं अन्य संरचनात्मक सुविधा।

(छ) अगले 5 वर्षो के लिए पूंजीगत व्यय का चरणवद्ध उद्व्यय ।

(ज) विषयवार आवर्ती व्यय, वित्त के स्रोत एवं प्रत्येक विद्यार्थी पर अनुमानित खर्च।

(झ) संसाधन बढ़ाने एवं उसके पूँजीगत लागत तथा प्रत्येक श्रोत से पुनर्भुगतान की रीति के लिए स्कीम ;

(ट) विद्यार्थियों से शुल्क की वसूली द्वारा अन्तःस्रोतों का बढ़ाना, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं अन्य प्रत्याशित आय से सम्बन्धित परामर्श एवं अन्य गतिविधियों से संभावित निधि की प्राप्ति।

(ठ) ईकाई लागत पर किये जाने वाला व्यय का व्योरा– शुल्क में छूट या राहत की सीमा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृति तथा शुल्क प्रारूप जो विभिन्न शुल्क की दर को निदेशित करे तथा जिसमें अनिवासी भारतीयों एवं गैर भारतीय छात्रों से लिया जानेवाला शुल्क भी शामिल होगा।

(ड) प्रायोजक के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों के बारे में पूर्ण जानकारी एवं प्रत्यय पत्र, जिसमें संबंधित क्षेत्र में उनके अनुभव के वर्ष एवं विशेषज्ञता का उल्लेख हो शामिल होगें।

(ढ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया ;

(ण) उसकी साझेदारी का स्वभाव एवं स्वरूप ।

(प) विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व राज्य सरकार द्वारा यथा अपेक्षित अन्य शर्त्तों की पूर्ति ।

4. विश्वविद्यालय की स्थापना :–

(1) आवश्यकतानुसार जॉचोपरान्त यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि प्रायोजक धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्त्तों को पूरा करता है, तो सरकार प्रायोजक को स्थायी निधि बनाने का निर्देश दे सकती है।

(2) स्थायी निधि की स्थापना के बाद राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर सकती है ।

(3) विश्वविद्यालय का परिसर झारखण्ड राज्य की परिसीमा के अन्तर्गत कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, पर इसका मुख्यालय रॉची ही होगा । विश्वविद्यालय की अन्य शाखाऍं या परिसर या क्षेत्रीय केन्द्र, राज्य के किसी भू–भाग में स्थापित किये जा सकते हैं, जिसके लिए झारखण्ड सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(4) इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, शासी निकाय के सदस्य, प्रबन्ध समिति के सदस्य एवं अधिविद्य परिषद् के सदस्य का एक निगमित निकाय होगा। विश्वविद्यालय की ओर से मुकदमा और विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई का जिम्मा इन पर होगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा झारखण्ड राज्य में अर्जित, सृजित, निर्मित और व्यवस्थित चल एवं अचल सम्पत्ति विश्वविद्यालय में निहित होगी।

(6) विश्वविद्यालय के लिए अर्जित भूमि, भवन एवं अन्य सम्पत्तियों का उपयोग निहितार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी उद्‌देश्य के लिए नहीं होगा ।

विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता का हकदार नहीं होगा

5. विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा । यह राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं करेगा और राज्य सरकार या इसके स्वामित्व में स्थित किसी निकाय या निगम से किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान का हकदार नहीं होगा ।

अंगीभूत महाविद्यालय

6. विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय एवं राज्य की सीमा के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्र होगें ।

7. विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य :– विश्वविद्यालय की स्थापना जिन उद्‌देश्यों से की गयी है वे निम्नलिखित है :–

(क) वित्त एवं वित्तीय विश्लेषण सहित प्रबन्धन के विशिष्ट क्षेत्रों में दिशा निर्देश, अध्ययन,अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों (CPA सर्टिफिकेट एण्ड डेजिगनेशन), बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रबन्धन, व्यापार प्रबन्धन, विधि, शिक्षा तथा विज्ञान एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं और सम्बन्धित विषयों में दिशा–निर्देशन, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना और शोध एवं उसके अग्रत्तर विकास तथा ज्ञान प्रसार की व्यवस्था करना।

(ख) झारखण्ड राज्य में एक परिसर की स्थापना करना और झारखण्ड सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से झारखंड राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना ।

(ग) लिखित/मौखिक परीक्षा अथवा मूल्यांकन की अन्य पद्धतियों के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को स्थापित करना (या संरचना करना) ।

(घ) दूसरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों , शोध–संस्थाओं, उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, जिसमें कांउसिल ऑफ चार्टर्ड– फाईनेंसियल एनालिस्ट और सोसाइटी ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंट्स शामिल है, के अतिरिक्त भारत और विदेश की कोई संस्था हो सकती है, के साथ समन्वय एवं सहयोग करना एवं सम्बन्ध रखना जिससे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बेहतर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण एवं शोध–कार्य की सम्भावना विकसित हो सके, एतदर्थ पारस्परिक आदान–प्रदान की व्यवस्था की जाय ।

(च) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यकारी शैक्षिक कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों, प्रकाशन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान को फैलाना ।

(छ) भारत अथवा विदेशों में अवस्थित विश्वविद्यालय संस्था के प्राध्यापक वर्गों के प्रशिक्षण एवं उपयोगी विकास हेतु कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व उठाना ।

(ज) भारत या विदेश की किसी संस्था के साथ–मिलकर शोध कार्य करने की व्यवस्था करना।

(झ) उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता विकसित करना ।

(ट) उद्योग तथा सरकारी एवं निजी संगठनों के साथ विचार–विमर्श करने एवं सलाह लेने – देने की व्यवस्था करना ।

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रकार के शैक्षिक डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण–पत्र स्तरीय तथा ए0आई0सी0टी0ई0/एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 /बी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानक के अनुरुप हों,

(ढ) उपर्युक्त सभी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।

(ड) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा यथानुमोदित दिया गया हो, अन्य किसी उद्देश्यकी पूर्ति के लिए प्रयास करना।

8. <u>विश्वविद्यालय की शक्तियॉ :–</u>

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी :–

(क) परिनियमों में अधिकथित समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित में क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना उन्हें मान्याता देना और उसकी ठीक से देखभाल करना।

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उनके विस्तार के लिए आवश्यक गतिविधियाँ संचालित करना।

(ग) परिनियमों की शर्त्तों एवं तरीकों में अधिकथित डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर प्रमाण पत्र या अकादमिक श्रेष्ठता पुरस्कार और अन्य व्यावसायिक पदवियाँ, जिसमें सी0एफ0ए0 चार्टर एण्ड डेजिगनेशन सी0पी0ए0 प्रमाणपत्र शामिल है, प्रदान करना।

(घ) परिनियमों की शर्त्तों के अनुरुप छात्रवृत्ति, पुरस्कार आदि देने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(च) यथास्थिति, विश्वविद्यालय के विधान एवं परिनियम के आलोक में शुल्क, देयक, बीजक की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना।

(छ) विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पाठ्येत्तर गतिविधियों का प्रावधान करना।

(ज) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के संकाय, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति करना।

(झ) किसी प्रकार का दान एवं उपहार प्राप्त करना, विश्वविद्यालय या उसके अंगीभूत कॉलेजों, या उसके क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों की समस्त चल–अचल, दानस्वरूप प्राप्त सम्पत्तियों का अर्जन, ग्रहण, देखभाल एवं कय–विकय का दायित्व।

(ट) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में या देश–विदेश के अन्य परिसरों में विश्वविद्यालय या अंगीभूत कॉलेजों के विद्यार्थियों के उचित आवास का प्रबन्ध कराना (हॉस्टल आदि का) साथ ही विश्वविद्यालय के विविध उद्देश्यों के लिए प्रेक्षागृहों की स्थापना करना एवं उनकी देखभाल करना।

(ठ) विद्यार्थियों के आवास का पूर्ण निरीक्षण करना एवं उन्हें अपने नियत्रण में रखना, विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का नियमन करना, सभी प्रकार के कर्मचारिओं के बीच अनुशासन कायम रखना और उन्हें सेवा शर्त्तों के साथ आचार–संहिता से अवगत करना।

(ढ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, सहयोगी कर्मचारियों के साथ अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना।

(ण) समय–समय पर दूसरे विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के साथ आवश्यकतानुसार एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सहयोग कराना।

(त) शिक्षकों, चर्या प्रवर्धकों (डेवलपर आफ कोर्सेस) मूल्यांकन कर्त्ताओं तथा संकाय कर्मियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्य, अनुकूलन पाठ्य–चर्या, कार्यशालाओं, संगोष्टियों एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन।

(थ) अधिविद्य परिषद् के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यायों, क्षेत्रीय केन्द्रों में नामांकन के मापदंड का निर्धारण करना।

(द) विश्वविद्यालय या उसके अंगीभूत महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों के किसी भी पाठ्यक्रम में झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों के लिए नामांकन हेतु विशेष उपबंध करना।

(ध) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के विस्तार के लिए उपर वर्णित शक्तियों के अलावा भी यदि आवश्यक हो, हर सम्भव प्रयास करना।

(न) स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स डिग्री एंड रिसर्च तथा इसी प्रकार अन्य डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, सर्टिफिकेट इत्यादि के लिए पाठ्यक्रम विहित करना।

(प) निर्देशक सामग्रियों की तैयारी के लिए जैसे फिल्म, कैसेट, टैप, विडियो–कैसेट, सी0डी0, बी0सी0डी0 तथा अन्य सॉफ्टवेयर को उपलब्ध कराना।

(फ) शासी निकाय की सहमति से विश्वविद्यालय के प्रायोजनार्थ निधि एकत्र करना, उगाही करना, चंदे एवं अन्य माध्यमों से व्यवस्था करना।

(ब) कोई अनुबंध करना, उसे जारी रखना, उसमें परिवर्त्तन करना अथवा उसे निरस्त करना।

(भ) उपर्युक्त शक्तियों के प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक या समीचीन कार्य करना।

9. विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों, भाषा–भाषियों, वर्णों एवं लिंगों के लिए समभाव रखेगा।

परन्तु

(i) सभी संकायों एवं पाठ्यक्रमों में 60% सीट उन्हीं छात्रों से भरा जाएगा जो अंतिम अर्हक परीक्षा झारखण्ड राज्य की अधिकारिता में स्थिति शैक्षणिक संस्थाओं से उत्तीर्ण हों।

(ii) शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सभी संकायों एवं पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा परिभाषित आरक्षण नीति लागू होगी।

10. (1) विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय एक्रीडिटेशन निकायों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय स्थापना अधिनियम 2003) से एक्रीडेशन प्राप्त करेगा।

(2) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमशः शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विधि शिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करने एवं डिग्री देने तथा अन्य पाठ्यक्रमों की शुरूआत करने के लिए विश्वविद्यालय NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) एवं राष्ट्रीय विधि परिषद् से पूर्वानुमति एवं मान्यता प्राप्त करेगा। पाठ्यक्रमों के लिए जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो वहाँ संबंधित प्राधिकार/विनियमन निकाय से मान्यता प्राप्त करेगा।

(3) तकनीकी शिक्षा पर अन्य कार्यक्रमों के संबंध मे मान्यता प्राप्त करने एवं सांविधिक विनियमन निकायों द्वारा विहित मानक एवं स्तर बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय पर सुसंगत विधि, नियम, विनियम आदि लागू होंगे।

## अध्याय–3

## विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी गण होगें :–
- क) कुलाधिपति
- ख) कुलपति
- ग) कुल सचिव
- घ) वित्त पदाधिकारी और
- ङ.) विश्वविद्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अन्य अधिकारी

12. (1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के "विजिटर" होगें।

(2) विजिटर उपलब्ध रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगें, जहाँ वे विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, विशिष्ट पदवी, शासन–पत्र आदि प्रदान करेगें।

(3) विजिटर के निम्नलिखित अधिकार होगें :–

क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित अध्ययन–अनुशीलन हेतु आवश्यक किसी कागजातों–अभिलेखों या सूचना की मांग कर सकते है।

ख) प्राप्त सूचना के आधार पर यदि "विजिटर" को ऐसा प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा किसी स्तर पर नियम संगत निर्णय नहीं लिये गए हैं, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के व्यापक हित हेतु वे आवश्यक समुचित निर्देश देगें, जिनका अनुपालन करना सभी सम्बद्ध लोगों के लिए आवश्यक होगा।

13. (1) "विजिटर" के पूर्व अनुमोदन पाने के पश्चात् प्रायोजक किसी योग्यताधारी सुयोग्य व्यक्ति को कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति करेगें।

(2) नियुक्त कुलाधिपति का कार्यकाल पॉच वर्षों का होगा।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रधान होगें।

(4) शासीनिकाय की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति करेगें और "विजिटर" की अनुपस्थिति में डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर्स, पदवी या प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(5) कुलाधिपति के निम्नलिखित अधिकार होंगें :

(क) किसी सूचना या अभिलेख की माँग करना

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना

(ग) कुलपति को अपदस्थ करना

(घ) ऐसे अन्य अधिकार जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अन्तर्गत उन्हें अधिकृत किया जा सकता है।

14. (1) कुलाधिपति के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम के विहित नियमों और शर्तों के अन्तर्गत चार वर्षो की कालवधि के लिए कुलपति नियुक्त किए जायेंगे।

(2) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा नामित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से कुलाधिपति द्वारा 4 वर्षों की नियत कालावधि के लिए की जायेगी। परन्तु 4 वर्षों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी किसी कुलपति की पुनर्नियुक्ति अगले 4 वर्षों की कालावधि के लिए की जा सकेगी।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षिक पदाधिकारी होंगे और उन्हें विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सामान्य निरीक्षण और नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार होगा साथ ही वे विश्वविद्यालय प्राधिकारी के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत होंगे।

(4) कुलपति के विचार में यदि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी खास मामले में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, जिसके लिए अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य प्राधिकारी है, तो वे तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे और यथाशीघ्र एवं समय पर उक्त सक्षम प्राधिकारी को ससूचित करेंगे, जो इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकृत पदाधिकारी हैं।

परन्तु; यदि सम्बद्ध अधिकारी को लगे कि कुलपति द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था, तब ऐसे मामले कुलाधिपति को सौंपे जायेंगे, जिनका निर्णय इस पर अन्तिम होगा।

परन्तु, यह भी कि यदि कुलपति का निर्णय किसी व्यक्ति की विश्वविद्यालय सेवा को प्रभावित करता है, तो वह व्यक्ति, वैसे निर्णय, जिसकी सूचना जिस तिथि को दी गयी है उस तिथि से तीन महीने के भीतर शासी निकाय के पास उस निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है और कुलपति के उस निर्णय को शासी निकाय सम्पुष्ट, संशोधित या उलट भी सकता है।

(5) यदि किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय, जिसके लिए वह अधिकारी अधिनियम और परिनियम के अन्तर्गत अधिकृत है या विश्वविद्यालय के हित के विरूद्ध एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रतीत हो, तो उस निर्णय की तिथि से सात दिनों के भीतर कुलपति विवेकानुसार उस निर्णय को संशोधित करने का अनुरोध करेंगे और यदि सम्बन्धित अधिकारी ऐसे संशोधन को पूर्णतया या आंशिक रूप से सात दिनों के भीतर संशोधित करने में असमर्थता प्रकट करता है, तो वह मामला कुलाधिपति को सौंपा जा सकता है, जिनका निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(6) कुलपति वैसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और वैसे सभी कार्य करेगे जो परिनियम या नियम के अंतर्गत वर्णित हो ।

(7) "विजिटर" ओर कुलाधिपति दोनों की अनुपस्थिति में कुलपति डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, पदवी या प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(8) उचित जॉच के उपरान्त कुलपति को बर्खास्त करने अधिकार कुलाधिपति को होगा। मामले की गंभीरता के आलोक में कुलाधिपति यदि उचित समझे तो जॉच समाप्त होने तक कुलपति को निलम्बित भी कर सकते हैं।

15. विश्वविद्यालय परिनियमों के अनुरूप एक विहित प्रकिया के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत कुलपति, संकायाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे।

16. (1) परिनियमों एवं नियमों के आलोक में कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी

(2) विश्वविद्यालय की ओर से सभी प्रकार के अनुबन्धों पर कुल सचिव का हस्ताक्षर होगा साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से सभी प्रकार के कागजातों और अभिलेखों का प्रमाणीकरण कुल सचिव के हस्ताक्षर से होगा।

(3) कुलसचिव वैसे अधिकारों का उपयोग कर सकेगा जो शासी निकाय द्वारा उसे समय–समय पर दिये जायें।

(4) विश्वविद्यालय के सामान्य मुहर एवं उसके सभी अभिलेखों के पूर्व अभिरक्षण का दायित्व कुलसचिव का होगा और कुलाधिपति, कुलपति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर ऐसी सूचनाएँ एवं अभिलेख जो कार्य निष्पादन में सहायक हो, उपलब्ध कराना कुलसचिव का दायित्व होगा।

(5) जैसा कि विश्वविद्यालय परिनियमों के अन्तर्गत विहित हो कुल सचिव प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

17. वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति शासी निकाय के द्वारा वैसे कार्यों के निष्पादन के लिए की जायेगी जिसके लिए वित्त पदाधिकारी अधिकृत किए जायें।

18. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों का अधिकार और कर्तव्य विश्वविद्यालय के परिनियम के अन्तर्गत निर्धारित होंगे।

## अध्याय – 4

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

**19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :**

क. शासी निकाय (बोर्ड ऑफ गवर्नर)

ख. प्रबन्धन समिति (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट)

ग. अधिविद्य परिषद (ऐकेडेमिक कौंसिल)

घ. वित्त समिति (फाईनेंस कमिटी)

ड़. अन्य ऐसे प्राधिकारी जो विश्वविद्यालय के परिनियम के आलोक में गठित की जायेंगी।

**20. 1. शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगेः–**

क. कुलाधिपति

ख. कुलपति

ग. प्रायोजक द्वारा नामित चार व्यक्ति

घ. राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि

ड़. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो विद्वान्

2. शासी निकाय के अध्यक्ष कुलाधिपति होगें ।

3. कुलसचिव शासी निकाय के पदेन सचिव होगें ।

4. शासी निकाय विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न एवं प्रमुख शासकीय प्राधिकारी होगा और इसके निम्नलिखित अधिकार होगे :–

क. सांविधिक (स्टेटूटरी) अंकेक्षक की नियुक्ति करना

ख. विश्वविद्यालय द्वारा लागू की जानेवाली नीतियों का निर्धारण करना।

ग. विश्वविद्यालय का दूसरे प्राधिकारों के द्वारा लिए गए वैसे निर्णय, जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और नियम के विरूद्ध होंगे, के पुनरावलोकन का अधिकार होगा।

घ. विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिकप्रतिवेदन का अनुमोदन

ड़. पुराने परिनियम, नियम में परिवर्त्तन/संशोधन एवं नये परिनियम/नियम निर्माण का अधिकार।

च. विश्वविद्यालय को स्वतः बन्द करने का अधिकार

छ. राज्य सरकार को समर्पित किए जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना तथा

ज. विश्वविद्यालय के निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निर्णय लेने एवं समुचित कदम उठाने का अधिकार

5. शासी निकाय की बैठक पंचांग वर्ष में कम–से–कम दो बार वैसे स्थान एवं समय पर होगी, जैसा कुलाधिपति निर्धारित करेंगे।

**21. 1. प्रबन्धन समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :**

क. कुलपति

ख. कुलसचिव

ग. प्रायोजक द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति

घ. कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो संकायाध्यक्ष

ड़. राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि

2. प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे और कुल सचिव इसके सचिव होंगे।

3. प्रबंधन समिति के अधिकार और कर्तव्य वहीं होंगे जो उसके लिए निर्धारित किये जायेंगे।

**22. 1. अधिविद्य परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :**

क. कुलपति – अध्यक्ष

ख. कुलसचिव – सचिव

ग. वित्त पदाधिकारी

ध. परिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैसे सदस्य जो इस हेतु नामित किए जायें।

2. अधिविद्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख विद्वत परिषद् होगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और नियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का पर्यवेक्षण करेगी।

23. 1. वित्त समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

क. कुलपति– अध्यक्ष

ख. कुलसचिव – सचिव

ग. वित्त पदाधिकारी

घ. ऐसे सदस्य जो विश्वविद्यालय के परिनियम अन्तर्गत नामित किए जायें।

2. वित्त समिति, विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त समिति होगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम और नियम के अनुसार वित्तीय मामलों का देख–रेख तथा पर्यवेक्षण करेगी।

24. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन शक्ति एवं उनके क्रिया कलापों का निर्धारण उस प्रकार होगा जैसा कि उनके लिए विहित किया जायगा।

25. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

## अध्याय–5

## परिनियम एवं नियम

**26. इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के किसी मामले और उसके कर्मचारी के लिए परिनियमों का निर्धारण इस प्रकार होगा :**

क. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में समय–समय पर नियम बनाना जिसका स्पष्ट उल्लेख अधिनियम में नहीं हैं।

ख. स्थायी निधि, सामान्य निधि एवं विकास कोष का संचालन

ग. कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, अधिकार एवं कर्तव्य विश्वविद्यालय के परनियम के तहत ही होंगे।

घ. विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और दूसरे कर्मियों की नियुक्ति विधि और सेवा शर्त्तें विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार ही होंगी।

ङ. विश्वविद्यालय, इसके पदाधिकारी, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय कर्मी और छात्रों के बीच किसी विवाद का निष्पादन परिनियम के अन्तर्गत ही होगा।

च. किसी विभाग और निकाय गठन, समापन एवं पुनर्गठन का।

छ. दूसरे विश्वविद्यालयों अथवा उच्च अधिगम संस्थानों के साथ सहयोग की पद्धति

ज. निः शुल्क शिक्षण एवं छात्रवृत्ति का प्रावधान ।

झ. विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या का निर्धारण तथा इनमें छात्रों के नामांकन की प्रकिया निर्धारित करना ।

ञ. विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण

ट. अध्येतावृत्तियों, मेघावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, निःशुल्कता, पदकों एवं पारितोषिको की व्यवस्था।

ठ. पदों के सृजन एवं समापन का प्रावधान।

ण. अन्य मामले जैसा कि प्रावधानित किया जाय।

27. **परिनियम निर्माण** – शासी निकाय द्वारा बनाया गया प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होगी जिसे राज्य सरकार संशोधन अथवा बिना संशोधन के अनुमोदित कर सकेगी ।

28. **परिनियम में संशोधन का अधिकार**– राज्य सकार की पूर्वानुमति के बाद ही शासी निकाय राज्य सरकार की पूर्वानुमति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उसमें संशोधन कर सकेगी अथवा उसे निरस्त कर सकेगी।

29. **अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम सभी अथवा निम्नांकित के लिए मान्य होंगें :**

क. विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनके नामांकन एवं उनके अध्ययनरत रहने के संबंध में।

ख. विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों, अधिकार पत्रों एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण

ग. विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा, अधिकार पत्रों प्रमाण पत्रों एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रदान करना।

घ. लेखा नीति एवं वित्तीय विधि

ङ. अध्येतावृत्तियों, मेघावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदक एवं पारितोषिक सम्बन्धी शर्तें

च. परीक्षा सम्पन्न कराने तथा परीक्षक, अनुवीक्षक, सारणीयक एवं परिशोधक की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए नियुक्ति।

छ. विश्वविद्यालय में प्रवेश से परीक्षा तक की उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टता पत्र के लिए शुल्क निर्धारण।

ज. शुल्क संशोधन

झ. विभिन्न पाठ्यकमों एवं कार्यकमों की निर्धारत सीटों की संख्या में फेरबदल।

ञ. विश्वविद्यालय में अथवा अंगीभूत कॉलेजों में अथवा सम्बद्ध कॉलेजों में छात्रों के आवास हेतु शर्तों का निर्धारण।

ट. विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज अथवा, सम्बद्ध कॉलेजों में छात्रों के मध्य अनुशासन कयम रखना।

ठ. अन्य मामले जो अधिनियम के अन्तर्गत परिनियम और नियम में आ सकते हैं।

30. **नियम बनाना –**

शासी निकाय द्वारा बनाया गया नियम राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार संशोधन अथवा बिना संशोधन अनुमोदित कर सकेगी।

31. **नियम में संशोधन का अधिकार –**

शासी निकाय राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद नये नियम या अतिरिक्त नियम बना सकेगी अथवा नियम को समाप्त कर सकेगी।

## अध्याय–6

## विविध

32. **विश्वविद्यालय कर्मियों की सेवा शर्तें –**

1. प्रत्येक कर्मी एक लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त होगा जिसकी प्रति विश्वविद्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मी को दी जाएगी।
2. परिनियमों में निर्धारित विधि से ही छात्र और कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

33. **अपील का अधिकार –**

विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मी अथवा छात्र को अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी, अथवा प्राधिकारी अथवा प्रधानाचार्य के निर्णय के विरूद्ध प्रबंधन समिति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील के बाद प्रबंध समिति उक्त निर्णय की संपुष्टि, संशोधन या उसमें फेरबदल कर सकती है।

34. **भविष्य निधि और पेंशन –**

विश्वविद्यालय अपने अधीन काम करनेवालों के लिए भविष्य निधि और पेंशन निधि स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त परिनियम एवं नियमों के तहत जीवन बीमा की योजना भी बनाने का प्रावधान किया जा सकेगा।

**35. विश्वविद्यालय प्राधिकारी और निकाय के गठन से सम्बन्धित विवाद –**

किसी व्यक्ति के विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी सदस्य के विधिवत् निर्वाचन, नियुक्ति अथवा किसी समिति के लिए चुने जाने के प्रश्न पर कोई विवाद उठ खड़ा हो तो वैसे मामले कुलाधिपति को सौंपे जाऐंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

**36. समितियों का गठन –**

विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी उपखण्ड–19 में उल्लिखित प्रावधान के अनुरुप अधिकार सम्पन्न समिति गठित कर सकता है, जो उसकी दृष्टि में उचित प्रतीत होगा।

**37. आकस्मिक रिक्ति भरे जाने सम्बन्धी –**

पदेन अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी पद पर विश्वविद्यालय के प्राधिकार या निकाय के सदस्यों के पद की अगर आकस्मिक रिक्ति होती है तो उस पद पर कोई भी व्यक्ति उसी विधि से नियुक्त अथवा निर्वाचित हो सकता है जिस विधि से रिक्तिवाले व्यक्ति की नियुक्ति अथवा उसका निर्वाचन हुआ था और रिक्ति पर नियुक्त अथवा निर्वाचित व्यक्ति उन सभी समितियों या समिति का सदस्य हो सकता है, जिस समिति में पहले से रिक्ति वाला व्यक्ति था।

**38. सद्‌भाव से किए गए निर्णयों का रक्षण –**

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम और नियम के तहत किसी पदाधिकारी अथवा अधिकारी के वैसे कार्यों के लिए जो सद्‌भाव और विश्वविद्यालय के हित के लिए उचित हो, कोई भी मुकदमा या कार्रवाई नहीं हो सकती।

**39. जब तक कि अधिनियम और परिनियम द्वारा प्रावधानित न हो;**

क. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्षों की कालावधि के लिए की जायेगी।

ख. विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति तीन वर्षों की कालावधि के लिए कुलाधिपति के द्वारा की जाएगी।

ग. प्रथम शासी निकाय एक बार में तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए कार्यरत नहीं रहेगा।

घ. प्रथम प्रबंधन समिति, प्रथम वित्त समिति एवं प्रथम अधिविद्य परिषद् कुलाधिपति के द्वारा एक कार्यावधि जो तीन वर्षों से ज्यादा के लिए नहीं होगी, गठित की जाएगी।

40. **स्थायी निधि –**

1. विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम एक करोड़ रूपये का स्थायी निधि स्थापित की जाएगी।
2. विश्वविद्यालय, सामान्य निधि, विकास निधि से कितनी भी राशि अक्षय निधि मे जमा कर सकेगा किन्तु विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में स्थायी निधि से राशि का विपथन नहीं किया जाएगा।
3. स्थायी निधि से उपार्जित लाभ का 75 प्रतिशत विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिए खर्च किया जा सकता है और शेष 25 प्रतिशत स्थायी निधि में ही पुनर्निवेशित की जाएगी।

41. 1. **विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नांकित राशि जमा कीएगी :**

क. विश्वविद्यालय के द्वारा लिए जाने वाला सभी शुल्क

ख. दूसरे किसी भी स्त्रोत से प्राप्त राशि

ग. प्रायोजक द्वारा योगदान की राशि

ध. सामान्य निधि में कोई भी व्यक्ति या संस्था/सहयोग राशि दे सकती है वशर्ते वह व्यक्ति अथवा संस्था तुरंत प्रभावी किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित न हो।

2. सामान्य निधि में जमा धन निम्नांकित मदों में व्यय किए जाऐंगे :

क. अधिनियम, परिनियम और नियम के तहत् विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया ऋण एवं उस पर देय ब्याज शोधन हेतु।

ख. विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति के रख–रखाव पर होने वाले व्यय हेतु।

ग. अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत सृजित निधि के अंकेक्षण पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु।

ध. विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर मुकदमा या चल रही विधिक कार्रवाई पर होनेवाले व्यय हेतु।

ड़ विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मियों, शिक्षकों के वेतन एवं भत्ता के भुगतान में भविष्य निधि में अंशदान, उपादान एवं अन्य लाभ हेतु दी जाने वाली राशि के रुप में।

च. शासी निकाय, प्रबंधन समिति, अधिविद्य परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों जैसा कि परिनियमों के अधीन घोषित किया जाय अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के अनुरूप बनाए गए नियमों–परिनियमों के आधार पर किसी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों को यात्रा एवं अन्य भत्तों का भुगतान।

छ.. अध्येतावृत्तियॉ, निःशुल्कता, छात्रवृत्तियों, सहायकत्व का भुगतान तथा विद्यार्थियों, शोध–सहायको या प्रशिक्षुओं, जो परिनियमों तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विश्व वद्यालय के नियमों के आधार पर योग्य हो, को अन्य पुरस्कार,

झ. इस अधिनियम के प्रावधानों और परिनियमों यां नियमों के निर्वाह–कम में किए गए व्यय का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान;

ठ प्रायोजक द्वारा विश्वविद्ययालय के संस्थापन और इसके लिए किए गए विनिवेश की पूँजीगत लागत का भुगतान, जो प्रचलित बैंक–ब्याज–दर से अधिक न हो,

ड. विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन निर्मित परिनियमों नियमों के अनुरूप लिए गए परामर्श–कार्य के शुल्क और परिव्यय का भुगतान;

ढ़. प्रायोजक मडल की ओर से विश्वविद्यालय के प्रबंधन के दायित्व से भारित किसी संगठन को भुगतेय प्रबंधन शुल्क सहित किसी भी अन्य परिव्यय का भुगतान जो प्रबंधन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए ख़र्च के रूप में अनुमोदित हो;

ण. परन्तु यह कि प्रबंधन समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित कुल आवर्ती परिव्यय एवं कुल अनावर्ती परिव्यय की सीमा से अधिक परिव्यय विश्वविद्यालय नहीं करेगा,

प. परन्तु यह भी कि सामान्य निधि का उपयोग प्रबंधन समिति की पूर्वानुमति से उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जैसा कि उप धारा–2 में विनिर्दिष्ट है।

42. 1. **विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, यथा –**

क. छात्रों से लिया जानेवाला विकास शुल्क

ख. विश्वविद्यालय के विकास प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि

ग. प्रायोजक द्वारा किए गए सभी अंशदान

घ. किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किया गया सभी अंशदान और दान।

ङ. स्थायी निधि से प्राप्त समस्त आय।

2. समय–समय पर विकास कोष में जमा धन राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

**43. निधि का अनुरक्षण –**

धारा 40, 41 और 42 के अधीन स्थापित नियमों को प्रबंधन समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, विहित रीति से विनियमित एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

**44. वार्षिक प्रतिवेदन –**

1. विश्व विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबंधन समिति के निदेशनं के अधीन तैयार किया जाएगा
2. शासी निकाय अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे संशोधन अथवा बिना संशोधन के अनुमोदित कर सकेगा।
3. शासी निकाय द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसंबर तक अथवा उससे पहले कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

**45. लेखा एवं अंकेक्षण –**

1. विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबंधन समिति के निर्देश के अधीन तैयार किए जाएँगें और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि जिनका संवितरण या भुगतान किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए लेखों में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
2. विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण ऐसे लेखा–परीक्षक द्वारा किया जाएगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया का सदस्य हो।
3. लेखा–परीक्षा संबंधी प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलन–पत्र की एक प्रति 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसंबर को अथवा पहले शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
4. शासी निकाय द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जाएगा और शासी निकाय उसे अपनी सम्प्रेक्षण अभ्युक्तियों के साथ 31 दिसम्बर से पहले "विजिटर" और राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
5. लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन में किसी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी अथवा संशोधन शर्त होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सुधारात्मक निदेश जारी किया जा सकेगा तथा यह निदेश विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

46. **विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाणन के तरीके –**

विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा समिति का कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या विश्वविद्यालय के अधिकार में अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विहित ढ़ंग से अनुरक्षित किसी पंजिका में कोई प्रविष्टि, जिसका सत्यापन कुल सचिव द्वारा ही किया गया हो, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणिक होगा। रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या पंजिका में मौजूद प्रविष्टि को विषयों और लेक्ष क्षेत्र के अभिलेखीकृत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जबकि उनकी मूल प्रति यदि प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी।

47. **विश्वविद्यालय का विघटन –**

1. यदि प्रायोजक, विश्वविद्यालय के संस्थापन और समावेशन के व्यवस्थापक कानूनों के अनुरुप विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव रखता है, तो उसे कम से कम तीन माह पहले राज्य सरकार को लिखित सूचना के द्वारा इसका संसूचन करना होगा।
2. कुप्रबंधन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता और विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता और विश्वविद्यालय के प्रबंधन–तंत्र में आर्थिक कठिनाइयों की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में राज्य सरकार विश्वविद्यालय प्रबंधन तंत्र को दिशा निदेश जारी कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निदेशों के समयानुरुप अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के विघटन का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
3. इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के विघटन का तरीका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा, इस शर्त के साथ कि प्रायोजक को कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना इस तरह का कदम उठाने की शुरूआत नहीं की जाएगी।
4. उपधारा 1. में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, ए0आई0सी0टी0ई और यू0जी0सी0 से परामर्श कर। प्रायोजक द्वारा दी गयी विश्वविद्यालय के विघटन की तारीख से और विश्वविद्यालय के नियमित अध्ययन के जारी पाठ्यक्रमों के संपन्न होने तक परिनियमों में बताए गए तरीकों के अनुरूप, विश्वविद्यालय के संचालन के लिए राज्य सरकार निर्णय लेगी।

48. **विघटन–क्रम में विश्वविद्यालय का परिव्यय**

1. धारा 47 के अधीन विश्व विद्यालय की अधिग्रहण–अवधि में इसके संचालन का परिव्यय स्थायी निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से पूरा किया जाएगा।

2 यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट निधियॉं विश्वविद्यालय के प्रबंधन अधिग्रहण की अवधि में होने वाले परिव्यय के लए पर्याप्त नहीं हुई, तो इस तरह का परिव्यय राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अचल सम्पतियों एवं परिसंपत्तियों का विकय कर पूरे किए जाएंगे।

49. परिनियमों एवं नियमों को रखना –

इस अधिनियम के अधीन निर्मित हर परिनियम और नियम जैसे ही यह तैयार होगा, विधान सभा के पटल पर सखा जाएगा।

50. कठिनाईयों का निवारण –

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियाँ राज्य सरकार को होगी तथा राज्य सरकार इस अधिनियम के धाराओं के अनुकूल आवश्यकतानुसार अधिसूचना के द्वारा उन कठिनाईयों को दूर कर सकेगी।

परन्तु उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के शुरू होने के तीन वर्षों की अवधि अवसान के पश्चात नहीं बनाया जाएगा।

2. उपधारा 1 के अधीन निर्मित हर आदेश, इसकी निर्मिति के बाद जितनी जल्दी संभव हो, राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाएगा।

51. संशोधन निरसन एवं व्यावृत्ति –

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्थापना, मानक बनाए रखना और महाविद्यालयों का संबंधन, अंगीभूत महाविद्यालय, अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्रों सहित इस विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य मामले समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानक अनुरक्षण, विनियम, 2003 अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत निदेश के अध्यधीन होंगे।

यह विधेयक इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनेलिस्ट्स ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 25 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 36--50--5-9-2006 ।